न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी- श्री प्रदीप सिंह सांगावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- डिक्री 129 सन 2017

पंजीयन दिनांक :- 14.7.2017

1.धापु पत्नी नारू अहीर निवासी-लसाडिया खूर्द तहसील राशमी ।

2.सीताराम गोद पिता नारू अहीर निवासी-लसाडिया खूर्द तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ ।

-अपीलांटगण

विरूद्ध

1.श्रीमती देवी पुत्री लखमा अहीर पत्नी भैरा अहीर मृतक के बजाय-

1/1शंकर पिता भेरा अहीर निवासी-लसाडियाखूर्द ।

1/2नंदू पिता भैरा अहीर निवासी-लसाडियाखूर्द ।

1/3 राधा पिता भैरा अहीर निवासी-लसाडियाखूर्द ।

1/4 सोसर पिता भैरा अहीर निवासी-लसाडियाखूर्द ।

1/5 सूंदर पिता भैरा अहीर निवासी-लसाडियाखूर्द ।

1/6/1नारायण पत्नी किशना अहीर अडाना ।

1/6/2 रतन पिता किशना अहीर निवासी-'अडाना ।

1/6/3 प्रकाश पिता किशना अहीर निवासी-अडाना ।

1/6/4गीता पिता किशना अहीर निवासी-'अडाना ।

1/6/5 'शांति पिता किशना अहीर निवासी-अडाना तहसील राशमी ।

2.राज्य जरिये तहसीलदार राशमी जिला चित्तौडगढ ।

-रेस्पोडेन्टगण

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी प्रकरण संख्या 62/2015 दिनांक 14.6.2016

उपस्थित-श्री सुरेशचन्द्रशर्मा-अधिवक्ता अपीलांटगण

श्री भगवतसिंह गिलूण्डिया -अधि.रेस्पो.01

श्री पूरणमल स्वर्णकार-राज.अधिवक्ता 02

निर्णय **दिनांक** 27.12.2023

प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि वादीया/रेस्पोडेन्ट संख्या01 **ने** एक वा विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर राशमी के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-88-89-188 के अन्तर्गत **मा**जा लसाडियाखूर्द की खातासंख्या 173 अनुसार आजी नम्बर 1097,रकबा 3**बीघा**

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ (राज.)

1098 रकबा 6 बीघा 15 विश्वा 1099 रकबा 10विश्वा 1100 रकबा 7विश्वा 1101 रकबा 1 बीघा8 विश्वा 1102 रकबा 3 बीघा 10 विश्वा कुल किता-6 रकबा 15 बीघा 10 विश्वा के सबंधमें पेश किया गया जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.6.2016 को वादीयां का वाद डिकी किया गया जिसके विरूद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है जो दर्ज रजिस्टर की गयी एवं विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटीस जारी किये गये एवं उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर बहस की गयी ।

इस न्यायालय में अपीलांट द्वारा अपील विलम्ब से पेश की गयी जिसके विरूद्ध अधिवक्ता अपीलांट द्वारा धारा-5 कानून म्याद का प्रार्थना-पत्र एवं 'शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया उक्त न्यायहित में उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में हुई देरी को क्षम्य की जाकर अन्दर म्याद शुमार की जाती है ।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस निवेदन किया गया विवादग्रस्त आराजियात वादीया के पिता के नाम दर्ज थी सजरे के अनुसार उपरोक्त आराजियात की खातेदारी लखा की मृत्यु होने के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वादीया उसकी पुत्री होने से एवं श्रीमती भुरी उनकी पत्नी होने से नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वादीया व उसकी माता भुरी के नाम होनी चाहिये थी परन्तु राजस्व कर्मचारियो ने वास्तविक तथ्यों की जानकारी किए बिना ही माता मु0भुरी एवं अपीलांट नारू के नाम दर्ज कर दी गयी नारू को लखा ने कभी गोद नहीं रखा इस कारण प्रतिवादी का कोई अधिकार नही है एवं रेस्पो01 वादीया ने यह भी लिखा कि उपरोक्त आराजियात रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वादीया की पैतृक होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01वादीया ही काश्त कर रही है एवं उसका कब्जा है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व शिविर में वादी एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिति में वाद डिकी कर दिया गया जो न्यायोचित प्रतित नहीं होता है अंत में उन्होने अपील मिमो में अंकित समस्त तथ्यों को पुनःदोहराते हुये अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण को पुनःअधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु रिमाण्ड करने का अनुरोध किया गया ।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी विधि सम्मत होने से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

मैने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस सुनी ओर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 वादिया ने अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 के विरूद्ध खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार पत्रावली में त्वरित न्याय दिलाये जाने हेतु उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प जाडाणा में पेश हुई। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से पक्षकार उपस्थित नही होने पर भी पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। विवादित कृषि आराजियात संवत् 2020 से 2023 में रेस्पोडेंट वादिया के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पिलीबंगा (राज.)

पिता लखा के नाम दर्ज रेकार्ड रही जो विरासत से रेस्पोर्डेट संख्या । नारू ने गोदपुत्र की हैसियत से अपने नाम बिना किसी दस्तावेज के दर्ज करवाई। जबकि रेस्पोर्डेट देअु खातेदार लखा के जायंदा पुत्री है जिसको वैधानिक वारिस मानते हुए विचारण न्यायालय ने खातेदारी घोषणा पारित है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राशमी प्रकरण संख्या 62/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2016 विधिसम्मत होने से अपीलांट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अपील सहवनीय नही होने से निरस्त योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी प्रकरण संख्या 62/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.6.2016 यथावत रखी जाती है । डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावें।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ

परिशिष्ट 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- प्रदीप सिंह सांगावत, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 129/2017/डिक्री

1.धापु पत्नी नारू अहीर निवासी-लसाडिया खूर्द तहसील राशमी ।

2.सीताराम गोद पिता नारू अहीर निवासी-लसाडिया खूर्द तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ ।

-अपीलांटगण

विरूद्ध

1.श्रीमती देवी पुत्री लखमा अहीर पत्नी भैरा अहीर मृतक के बजाय-

1/1शंकर पिता भेरा अहीर निवासी-लसाडियाखूर्द ।

1/2नंदू पिता भैरा अहीर निवासी-लसाडियाखूर्द ।

1/3 राधा पिता भैरा अहीर निवासी-लसाडियाखूर्द ।

1/4 सोसर पिता भैरा अहीर निवासी-लसाडियाखूर्द ।

1/5 सूंदर पिता भैरा अहीर निवासी-लसाडियाखूर्द ।

1/6/1नाराणी पत्नी किशना अहीर अडाना ।

1/6/2 रतन पिता किशना अहीर निवासी-'अडाना ।

1/6/3 प्रकाश पिता किशना अहीर निवासी-अडाना ।

1/6/4गीता पिता किशना अहीर निवासी-'अडाना ।

1/6/5 'शाति पिता किशना अहीर निवासी-अडाना तहसील राशमी ।

2.राज्य जरिये तहसीलदार राशमी जिला चित्तौडगढ ।

-रेस्पोडेन्टगण

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,राशमी प्रकरण संख्या 62/2015 निर्णय व डिकी दिनांक 14.06.2016 वाद पत्र बाबत धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राशमी प्रकरण संख्या 62/2015 निर्णय एवं डिकी दिनांक 14.6.2016 यथावत रखी जाती है ।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रूपये है,..... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे .... द्वारा दिये जाने हैं । यह आज दिनांक 27.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज.)